

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(26)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/25/97।5 दिनांक :16.07.25

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 330 (क) (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) सपठित राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा 1960 के नियम 26 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अभिशंषा किये जाने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी-द्वितीय के पद पर अस्थाई तौर पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

राजस्व अधिकारी-द्वितीय

Sr. No.	Merit No.	Roll No	Name of Candidates	DOB	Category	Home District
1.	1	5402458	DUSHYANT RAJ	04-04-00	GEN	SAWAIMADHOPUR
2.	2	5149780	REENA KHANDELWAL	17-01-88	GEN	KARAULI
3.	3	5177562	GANPAT RAM	16-04-96	GEN	BIKANER
4.	4	5385316	TRILOK SOLANKI	15-11-02	GEN	JODHPUR
5.	5	5359833	BHAWANI SINGH	16-01-95	GEN	JODHPUR
6.	6	5119101	BHUWAN SHUKLA	05-02-01	GEN	ALWAR
7.	7	5295512	VIKRANT SHARMA	04-11-01	GEN	DAUSA
8.	8	5357281	SUNIL KUMAR SAINI	10-04-91	GEN	JHUNJHUNU
9.	9	5213477	HARIOM SINGH GURJAR	04-04-96	MBC	DAUSA
10.	10	5275039	NIRMA KUMAWAT	06-09-01	GEN	JAIPUR
11.	11	5405791	VIJENDRA MEENA	25-09-01	ST	SAWAIMADHOPUR
12.	12	5364102	RAVINDRA PAL SINGH	07-07-97	EWS	JODHPUR
13.	13	5264178	ABHISHEK SHARMA	11-03-02	EWS	DUDU
14.	14	5446568	POONAM MAHALA	09-02-94	OBC	SIKAR
15.	15	5096761	PRAVEEN JANAGAL	24-07-96	SC	NAGAU
16.	16	5251253	LOKESH KUMAR AMERIA	01-06-99	SC	JAIPUR
17.	17	5176418	SHYOPAT RAM	13-07-92	SC	BIKANER
18.	18	5314740	ANGISH KUMAWAT	01-01-96	OBC	SIKAR
19.	19	5115026	NARESH KUMAR	05-06-79	OBC	KHAIRTHAL-TIJARA
20.	20	5360556	VIPLESH	03-08-98	OBC	JODHPUR
21.	21	5134288	NARENDRA KUMAR MEENA	15-05-92	ST	ALWAR

उक्त नव चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस सत्यापन (चरित्र सत्यापन) प्राप्त होने के उपरांत ही इनके पदस्थापन आदेश जारी किये जा सकेंगे। उक्त अभ्यर्थियों को निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/नगरीय निकाय अथवा प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने की तिथि से वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15 ()/वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 (शिड्यूल चतुर्थ) के अनुसार राजस्व अधिकारी-द्वितीय पद के लिए पे-बेण्ड-2, 9300-34800, लेवल-12 ग्रेड-पे 4800/- के अन्तर्गत राशि रुपये 44,300/- प्रतिमाह फिक्स वेतन देय होगा। परीवीक्षाकाल में फिक्स वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भत्तें आदि देय नहीं होंगे। दो वर्ष का परीवीक्षाकाल संतोषजनक सेवा सहित पूर्ण होने पर ही इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार समस्त परिलाभ देय होंगे।

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-

01. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई (Provisional) है तथा 01 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।
02. अभ्यर्थी द्वारा आदेश जारी होने की तिथि से 21 दिवस की अवधि में समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेजों व प्रमाण-पत्रों/विभागीय एन.ओ.सी. सहित उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
03. उपरोक्त नियुक्ति राजस्व अधिकारी-द्वितीय की शैक्षणिक योग्यता (डिग्री) की जांच अधीन रहेगी। उक्त शैक्षणिक योग्यता में अपात्र पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
04. उक्त नियुक्ति पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के अधीन होगी। पुलिस-सत्यापन रिपोर्ट में नियुक्ति हेतु प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर अथवा/और चिकित्सकीय शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में अनुपयुक्त/अयोग्य (Unfit) पाए जाने पर नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश बिना सूचना के निरस्त कर दिये जावेंगे।
05. इस आदेश के अधीन कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने/नहीं देने, विवाह व संतान संबंधी घोषणा एवं धूम्रपान/तम्बाकू का सेवन नहीं करने संबंधी शपथ-पत्र नोटरी से प्रमाणित करवाकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
06. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार अध्याय-1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति मा. उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर DBCWP NO. 16096/2022 अशोक मेघवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में मा. उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : प.1(क)(08)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/24/१७१६-८० दिनांक : 16/07/25
प्रतिलिपी: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. जिला, कलक्टर, समस्त राजस्थान।
04. निदेशक, नियोजन कार्यालय, राज0 जयपुर।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
06. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
07. सर्वश्री:.....।
08. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव